

राज. फृप्प सेप्टी सोसिएज - धौलपुर

## कार्यालय नगर परिषद धौलपुर

क्रमांक:-अग्नि / 2022-23 / 730



\* दिनांक:- 10-5-22

### अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रिन्सीपल सेन्ट जेवियर्स स्कूल स्थित सुआ का बाग विरोधा रोड धौलपुर जरिये फादर यूसेवियो गोमिस द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र के अनुसार निम्न लिखित शर्तों के साथ दो वर्षीय स्थाई अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

- स्कूल भवन के अन्दर अन्डरग्राउण्ड वाटर टैंक क्षमता 20 हजार लीटर पानी का स्टोक हमेशा रहेगा।
- स्कूल भवन में प्राथमिक अग्नि शमन उपकरण एग्सटिंग्यूसर आई.एस 2190 के अनुसार प्रावधित किये जाये।
- स्कूल भवन में हॉजरील हॉज की फिटिंग सुनिश्चित रूप से करानी होगी।
- स्कूल भवन में जनरेटर मशीन के पास Co<sub>2</sub> एग्सटिंग्यूसर छमता 9 Kg फिट कराना होगा।
- स्कूल भवन में हस्त चालित इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम फिट कराना होगा।
- स्कूल भवन में अन्डर ग्राउण्ड वाटर टैंक से कनेक्ट पानी छिड़काव (प्रेशर) हेतु ट्रेकपम्प 450 एल.पी. एम जॉकी पम्प 180 एल.पी.एम इलेक्ट्रिक पम्प फिट करानी होगी।
- स्कूल भवन में धूल व रज को वाहर निकालने हेतु 2 एडजेस्ट फेन लगाने होंगे।
- विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत का प्रावधान किया जाये।
- फायर वकेट स्टैण्ड फिट कराया जावे।
- स्कूल भवन का साइनेज बोर्ड फ्लोरेसेन्ट अक्षरों में स्थापित किया जावे।
- फायर संसाधनों को सुचारू रूप से चलाने एवं रख-रखाव हेतु फायर प्रशिक्षित कार्मिक तैनात रखना होगा।
- प्रत्येक वर्ष अग्निशमन यंत्रों की जांच अग्निशमन अधिकारी से करायें। एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र नवनीकरण करायें नवीनीकरण नहीं कराने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जायेगा व नियमानुसार शास्ती देय होगी।
- स्कूल भवन के अन्दर फायर संसाधनों के अभाव/खराबी के कारण कोई अग्नि दुर्घटना होती है। तो भवन के प्रबन्धक/मालिक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

उपरोक्तानुसार प्रिन्सीपल सेन्ट जेवियर्स स्कूल स्थित सुआ का बाग विरोधा रोड धौलपुर के भवन हेतु दो वर्षीय स्थाई अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है। कि आवेदक द्वारा भवन में अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रावधान भवन नियमावली तथा नेशनल विलिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराए जायें। तथा प्रिन्सीपल सेन्ट जेवियर्स स्कूल स्थित सुआ का बाग विरोधा रोड धौलपुर के भवन में उक्त शर्तों को इस फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि के 6 माह की समयावधि में पूर्ण किया जाये अन्यथा यह स्थाई फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

*[Signature]*  
सहायक अग्निशमन अधिकारी  
नगर परिषद, धौलपुर (राज.)  
*[Signature]*  
PRINCIPAL  
ST. XAVIER'S SCHOOL  
Sua Ke Bagh Bironcha Road  
Dholpur (Raj.)

For- SOCIETY OF PILAR  
Punjab Haryana Br. Dholpur

*[Signature]*  
अग्निशमन  
नगर परिषद धौलपुर

*[Signature]*  
Chairman/Manager/Asst. Manager